आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
06-08.19	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह– आर्बिटेटर, धनबाद** **आर्बिट्रेशन केश नं0–55 / 2019** मनोज कुमार, मे0 दुर्गा मोटर्स –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य दावेदार के आवेदन के आलोक में गोविन्दपुर अंचल अन्तर्गत मौजा–काण्ड्रा, थाना नं0–133, खाता नं0–53,29,73,65,95 प्लॉट नं0–532 भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया। आवेदक स्वंय उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया कि अर्जित भमि पर पेट्रोल पम्प बना हुआ है भूमि का बाजार दर के अनुसार राशि गणना कर भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही उक्त भूमि का कृषि दर पर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, जबकि भूमि व्यवसायिक है। NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया गया है कि नियमानुसार मुआवजा राशि का गणना कर भुगतान किया गया है। अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन0एच0ए0आई0 को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जांच करते हुए भूमि का वास्तविक प्रकृति के आधार पर भूमि एवं अवस्थित संरचानाओं का पुर्नमूल्यांकन कर देय मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। ह0/– 6/8/19 अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद। लेखापित एवं संशोधित। ह0/– 6/8/19 अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद।	